(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF THE DELHI GAZETTE – EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS)
8TH LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT, NEW DELHI

No. F.14(11)/LA-07/ 702

Dated the 24th April, 2007

NOTIFICATION

F.14(11)/LA-07 - The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt.Governor of Delhi on 23rd April, 2007 and is hereby published for general information:-

THE DELHI APPROPRIATION (No.2) ACT, 2007
(Delhi Act 6 of 2007)
(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 19th April, 2007)

[23rd April,2007]

An Act to authorize payment and appropriation of sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the services of the financial year 2007-08

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Fifty-eighth Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called the Delhi Appropriation (No.2) Act, 2007.

Issue of Rs.18578,02,00,000/- from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the financial year 2007-2008.

2. From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column(5) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of rupees eighteen thousand five hundred seventy eight crore and two lakh only towards defraying the several charges which will come in course of payment during the financial year 2007-2008 in respect of the services specified in column(2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

THE SCHEDULE
(See "section" 2 and 3)

(Rs. in thousands)

Demand No.	Services and Purposes		SUMS NOT EXCEEDING Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
1	2		3	4	5
1	Legislature	Revenue	98130	5270	103400
2	General Administration	Revenue	585510	27590	613100
3	Administration of Justice	Revenue	1226972	537800	1764772
4	Finance	Revenue	844300	0	844300
5	Home	Revenue	1379000	5300	1384300
		Capital	5000	0	5000
6	Education	Revenue	18374496	8250	18382746
		Capital	924700	0	924700
7	Medical and Public Health	Revenue	12528846	2000	12530846
		Capital	635000	0	635000
8	Social Welfare	Revenue	3499430	0	3499430
		Capital	20778300	0	20778300
9	Industries	Revenue	773981	200	774181
		Capital	2388900	0	2388900
10	Development	Revenue	3320115	12810	3332925
		Capital	1593900	5000	1598900
11	Urban Development and Public Works	Revenue	29891972	0	29891972
		Capital	47946050	0	47946050
	Public Debt.	Revenue	0	26687278	26687278
		Capital	0	11669100	11669100
12	Loans to Government Servants	Capital	25000	0	25000
	Total		146819602	38960598	185780200

(Rakesh Syal)
Joint Secretary(Law, Justice & L.A.)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग–4 में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग
8 वां तल, सी विंग, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली

संख्या फा0 14(11)/एल.ए.–07/एल.जे/07/702 दिनांक 24 अप्रैल,2007

अधिसूचना

संख्या फा0 14 (11)/एल. ए.–07/एल.जे/07 –उपराज्यपाल, दिल्ली की दिनांक 23 अप्रैल, 2007 को मिली अनुमति के पश्चात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जनसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :–

दिल्ली विनियोग (संख्या 2) अधिनियम, 2007
(2007 का दिल्ली अधिनियम संख्या 6)

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा द्वारा 19 अप्रैल , 2007 को यथापारित)

[23 अप्रैल , 2007]

वर्ष 2007–2008 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा कुछ और राशि का विनियोजन करने के लिए अधिनियम ।

इसे भारत गणराज्य के अठ्ठावन वें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाए :–

संक्षिप्त शीर्षक ।

1. इस अधिनियम को दिल्ली विनियोग (संख्या 2) अधिनियम, 2007 कहा जाए ।

18578,02,00,000/–रुपयों का वर्ष 2007–2008 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त ।

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए अठारह हजार पांच सौ अठत्तर करोड़ दो लाख रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में वर्ष 2007–2008 की अवधि के दौरान भुगतान के रुप में प्रयुक्त होगी।

विनियोजन ।

३. इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी।

अनुसूची

("खण्ड" 2 व 3 देखे)

(रुपये हजारों में)

		राशि इससे अधिक नहीं		
सेवायें एवं उददेश्य		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	संचित निधी पर भारित	जोड़
2		3	4	5
विधान मण्डल	राजस्व	98130	5270	103400
सामान्य प्रशासन	राजस्व	585510	27590	613100
न्याय प्रशासन	राजस्व	1226972	537800	1764772
वित्त	राजस्व	844300	0	844300
गृह	राजस्व	1379000	5300	1384300
	पूंजी	5000	0	5000
शिक्षा	राजस्व	18374496	8250	18382746
	पूंजी	924700	0	924700
चिकित्सा व जन स्वास्थ्य	राजस्व	12528846	2000	12530846
	पूंजी	635000	0	635000
समाज कल्याण	राजस्व	3499430	0	3499430
	पूंजी	20778300	0	20778300
उद्योग	राजस्व	773981	200	774181
	पूंजी	2388900	0	2388900
विकास	राजस्व	3320115	12810	3332925
	पूंजी	1593900	5000	1598900
शहरी विकास एवं लोक निर्माण	राजस्व	29891972	0	29891972
	पूंजी	47946050	0	47946050
सार्वजनिक ऋण	राजस्व	0	26687278	26687278
	पूंजी	0	11669100	11669100
ऋण	राजस्व	0	0	0
	पूंजी	25000	0	25000
जोड़		146819602	38960598	185780200

राकेश स्याल

(राकेश स्याल)

संयुक्त सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)